

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		तखतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत, निवासी कोटडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर


किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (177)

मुकदमा नम्बर 316 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---


21.10.2024


प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट तहसीलदार शिव ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 28.10.24 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

3159
24.10.24

28/10/24

पत्रावली पेश। कबुलाय ड्य-। प्रतिवादी तखतसिंह की कोट ल कबी ल श्री बृजकोहन कुमावत ने कबुलाय नामा पेश किया। जवाब आईन्दा पेश कलना चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आवेदन जी
निलवाई मर्ग

28/10/24

04.11.24

अदालत परा हुइ। श्रीमान पीठासीन अधिकारी को दीगर कर्षों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 11.11.24 को पेश हो।

तारीख
हुकम

29.5.26

पत्रावली प्रेषी विपरीत वकील अनुपस्थित।
 पत्रावली में प्रेषी हेतु पत्रकाराह्वार व
 वकील को न्यायालय तालम में रुक-
 रुक का आवाजे दी जाते के अवसुद्ध
 कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में
 प्रेषादी प्रेषी नहीं होने तथा अनुपस्थित
 रहने पर उक्त पत्रावली इसी स्तेज
 पर अदम हाजरी व अदम प्रेषी में
 खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से रुक होकर दायित्व
 दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 सिध, बाड़मेर